# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नगर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी-सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)
दावा नम्बर - 02/2021

1. बलबीर सिंह पुत्र सन्तोक सिंह, कौम सिख, निवासी ग्राम पुनाय, तहसील सिकरी, जिला भरतपुर प्रान्त-राज.

बनाम

- - -वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब,तहसील - सीकरी, जिला भरतपुर ( राज.)

- - -प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा-91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : अधिवक्ता श्री संदीप मदान

## निर्णय

दिनांक: 22.02.2021

(1.) वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 276/0.12, 318/1.12, 332/0.53, 359/0.62, 390/0.62, 433/0.43, 539/0.07, 55/0.16, 858/0.80, कुल किता 9 रकबा 4.46 वाके ग्राम पुनाय तहसील सीकरी वादी के पिता स्व. संतोष सिहं पुत्र मंगलसिंह, जाति सिक्ख, निवासी पुनाय तहसील सीकरी की खातेदारी काश्तकारी का रकबा था। जमाबन्दी स. 2055-58 पेश है, जिसमें पिता वादी की जाति सिक्ख दर्ज है। यह है कि पिता वादी की मृत्यु के बाद उक्त आराजी की विरासत का नामान्तरकरण वादी व उसकी माँ व भाइयों के नाम दर्ज हुआ जिसका इन्द्राज संख्या 395 है, जिनमें वादी व अन्य वारिसान मृतक संतोकसिहं दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा हमारी जाति सिक्ख दर्ज नहीं की गई और बिना जाति के नामान्तरकरण सं. 395 के अनुसार ही जमाबन्दी स. 2059-62, 2063-66, 2067-70 में वादी वगैरह की जाति दर्ज नहीं हुई और फिर पटवारी हल्का द्वारा नवीन जमाबन्दी (सेग्रीगेशन जमाबन्दी) संवत 2075 से 78 बनाते समय खाता स. 209 की उक्त आरती में वादी व उसके भाइयों व माँ की गलत जाति मेघवाल दर्ज कर दी जबकि वादी वगैरह सिक्ख जाति के हैं। यह हैं कि दावा वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 276/0.12, 318/1.12, 332/0.53, 359/0.62, 390/0.62, 433/0.43, 539/0.07, 55/0.16, 858/0.80, कुल किता 9 रकबा 4.46 वाके ग्राम पुनाय तहसील सीकरी वर्तमान जमाबन्दी स. 2075-78 के खाता स. 209 में वादी व अन्य वारिसान संतोकसिहं की जाति जमाबन्दी मृतक संतोकसिहं स. 2055-58 के अनुसार सिक्ख दर्ज की जाकर इसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात किया जावें व वर्तमान गलत इन्द्राजात जाति मेघवाल कलमजन किया जावें व खाता स. 209 में सही जाति सिक्ख दर्ज की जावें।

(2.) दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरणकरण स. 395 की विरासत खोलते समय वारिसों के आगे जाति दर्ज नहीं की गई है। जिस कारण जमाबन्दियों में जाति दर्ज नहीं हुई तथा सेग्रीगेशन में सहवन से मेघवाल बिना रिकार्ड के दर्ज कर दी।

(3.) दौरान बहस अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

(4.) हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों को अध्य[illegible]कन किया। बहस पर मनन किया। जिससे स्पष्ट हैं कि आराजी खसर[illegible] 318[illegible]2, 332/0.53, 359/0.62, 390/0.62, 433/0.43, 539/0.07, 55/0.16, 858/0.[illegible] किता 9 रकबा 4.46 वाके ग्राम पुनाय तहसील सीकरी जमाबन्दी स. 2055-58 के [illegible] स. 195 में सन्तोकसिंह [illegible]लसिंह कौम सिक्ख सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है[illegible]के पश्चात उक्त खातेदार सं[illegible] के विरासत

22.2.21

Scanned by CamScanner

का नामान्तरकरण स. 395 दर्ज किया गया जिसमें इसके वारिसान मु. दुर्गी बेवा संतोकसिंह शमशेर सिंह, बलवीर सिंह, हुकम सिंह, सतनाम सिंह ,रिछपाल सिंह पि. सन्तोक सिंह ब हि. बराबर खातेदार का अंकन करते समय जाति नहीं लिखि गई है। एवं तत्समय इसी प्रकार का बिना जाति लिखें ही नामान्तरकरण का नोट जमाबन्दी में अंकित कर दिया गया जो गलती आगे चलती रही। प्रतिवादी तहसीलदार- सीकरी ने भी इसे स्वीकार किया है और वर्णित किया है कि सेग्रीगेशन में सहवन से मेघवाल बिना रिकार्ड के दर्ज कर दी।

(5.) अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 276/0.12, 318/1.12, 332/0.53, 359/0.62, 390/0.62, 433/0.43, 539/0.07, 55/0.16, 858/0.80, कुल किता 9 रकबा 4.46 वाके ग्राम पुनाय तहसील सीकरी वर्तमान जमाबन्दी स. 2075 -78 के खाता स. 209 में वादी व अन्य वारिसान संतोकसिहं की जाति जमाबन्दी मृतक संतोकसिहं स. 2055-58 के अनुसार सिक्ख दर्ज की जाकर इसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात किया जावें व वर्तमान गलत इन्द्राजात जाति मेघवाल कलमजन किया जावें व खाता स. 209 में सही जाति सिक्ख दर्ज की जावें। निर्णय आज दिनांक 22.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.2.21

(सुरेन्द्र प्रसाद)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
नगर (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner